<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदन</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>खंडपीठ</u>: माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी एवं

माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्तिगण

<u>प्रथम अपील (वैवाहिकी) क्रमांक 116 वर्ष 2011</u>

<u>अपीलार्थी</u>: पवन कुमार कश्यप

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u>: श्रीमती रुक्मणी कश्यप

<u>विचारार्थ निर्णय</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

जी. मिन्हाजुद्दीन न्यायमूर्ति

19.4.2012

<u>माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी, न्यायमूर्ति</u>

मैं सहमत हूँ

सही/–

डॉ. आई.एम. कुद्दुसी न्यायमूर्ति

19.4.2012

निर्णय हेतु सूचीबद्ध किया जाए : 20 अप्रैल, 2012

सही/–

जी. मिन्हाजुद्दीन न्यायमूर्ति

19.4.2012

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>खंडपीठ</u>: माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी एवं

माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्तिगण

<u>प्रथम अपील (वैवाहिकी) क्रमांक 116 वर्ष 2011</u>

<u>अपीलार्थी</u>: पवन कुमार कश्यप

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>प्रत्यर्थी</u>: श्रीमती रुक्मणी कश्यप

.....

उपस्थिति: श्री पी.एम. श्रीवास, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

सुश्री नेहा वर्मा, प्रत्यर्थी की अधिवक्ता।

.....

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को उद्घोषित)

द्वारा, जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्ति

01. यह अपील अपीलार्थी/वादी द्वारा कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत कुटुंब न्यायालय, जांजगीर-चांपा द्वारा सिविल वाद क्रमांक 73-ए/10 में

पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से अपीलार्थी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन क्रूरता और अभित्यजन के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया गया है।

02. निर्विवादित तथ्य यह है कि पक्षकारों के मध्य विवाह दिनांक 29 अप्रैल, 2004 को ग्राम-सेमरिया में हिंदू रीति-रिवाजों और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार संपन्न हुआ था और उस समय अपीलार्थी भारतीय सेना में अमृतसर (पंजाब) में गनर के पद पर पदस्थ था, जो वर्तमान में भटिंडा (पंजाब) में पदस्थ है। तथापि, शेष तथ्य विवादित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. अपीलार्थी/वादी का प्रकरण संक्षेप में यह है कि उसकी बहन का विवाह 28 अप्रैल, 2004 को संपन्न होना निश्चित था, जिसके लिए वह अपने ग्राम-सेमरिया आया था। तथापि, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के परिवार के सदस्यों ने अपीलार्थी पर यह मिथ्या आरोप लगाया कि उसके प्रत्यर्थी के साथ अवैध संबंध हैं और जब तक वह प्रत्यर्थी से विवाह नहीं कर लेता, वे उसकी बहन का विवाह संपन्न नहीं होने देंगे। अतः, अपीलार्थी ने इस आशय से कि उसकी बहन के विवाह के दौरान प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा कोई बाधा उत्पन्न न की जाए, दिनांक 29 अप्रैल, 2004 को अउचित दबाव में प्रत्यर्थी से विवाह कर लिया, किंतु वास्तव में अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्य इस विवाह के इच्छुक नहीं थे। प्रत्यर्थी और उसके परिवार

द्वारा लगाए गए आरोप निराधार थे और अपीलार्थी के प्रत्यर्थी के साथ कभी कोई अवैध संबंध नहीं रहे। विवाह के पश्चात पक्षकारों ने कभी भी पति-पत्नी के रूप में सहवास नहीं किया क्योंकि विवाह के तुरंत बाद अपीलार्थी अपने पदस्थापना स्थल पर चला गया और प्रत्यर्थी विवाह के समय से ही अपने मायके में रह रही है। अपीलार्थी को प्रताड़ित करने के आशय से प्रत्यर्थी समय-समय पर सेना इकाई में झूठी शिकायतें करती रही, जिन्हें जाँच हेतु पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा को भेजा गया, जिन्होंने थाना प्रभारी बाम्हनडीह को जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जाँच के दौरान साक्ष्य अंकित किए गए। प्रारंभ से ही दोनों परिवारों के मध्य दबावपूर्ण विवाह को लेकर विवाद था, जिसके कारण 26 फरवरी, 2009 को ग्राम-कुनियारी में जातीय महासभा आहूत की गई, जिसमें महासभा ने रूढ़िगत रीति से विवाह विच्छेद कर दिया। जाँच के दौरान विभिन्न गवाहों के कथन अंकित किए गए। विवाह की तिथि को प्रत्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम थी, अतः वह वैध सहमति देने की स्थिति में नहीं थी और इसलिए भी यह विवाह विधि की दृष्टि में शून्य है। प्रत्यर्थी और उसके परिजन निरंतर विवाद और क्रूरता करते रहे हैं और प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी का परित्याग (अभित्यजन) कर दिया है। इन्हीं आधारों पर विवाह विच्छेद का आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का प्रकरण संक्षेप में यह है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के मध्य प्रेम प्रसंग था और विवाह पूर्व उनके मध्य शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे।

अपीलार्थी और उसके परिजनों ने अपनी स्वेच्छा से 29 अप्रैल, 2004 को विवाह संपन्न कराया था और कोई अउचित प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया था। प्रत्यर्थी जनवरी, 2009 तक अपनी ससुराल में रही और इस दौरान उनके मध्य वैवाहिक संबंध रहे। फरवरी, 2009 से अपीलार्थी और उसके परिजनों की उपेक्षा और प्रताड़ना के कारण वह मायके में रह रही है। सेना इकाई में की गई शिकायतें सत्य तथ्यों पर आधारित हैं। यद्यपि 26 फरवरी, 2009 को समाज की बैठक हुई थी, किंतु उसमें विवाह विघटन नहीं हुआ था। यदि यह मान भी लिया जाए कि विवाह के समय प्रत्यर्थी 18 वर्ष से कम आयु की थी, तो भी विवाह शून्य नहीं बल्कि प्रत्यर्थी के विकल्प पर शून्यकरणीय था और वयस्क होने पर प्रत्यर्थी ने विवाह का अनुसमर्थन कर दिया है। इस प्रकार पक्षकारों के मध्य हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधानों की दृष्टि से विवाह पूर्णतः वैध है। प्रत्यर्थी ने आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ न तो क्रूरता की है और न ही अभित्यजन, बल्कि अपीलार्थी ने स्वयं प्रत्यर्थी का परित्याग किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05. विद्वान कुटुंब न्यायालय ने उभय पक्षकारों को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, आक्षेपित निर्णय और डिक्री के माध्यम से धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आवेदन को खारिज कर दिया।

06. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया गया।

07. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक तर्कों के अतिरिक्त लिखित तर्क/अभिवचन भी प्रस्तुत किए हैं। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के **ऋषिकेश शर्मा बनाम सरोज शर्मा, 2007 (2) एमपीएलजे 319**; **दुर्गा प्रसन्न त्रिपाठी बनाम अरुंधति त्रिपाठी, 2006 (2) एमपीएलजे 1**, तथा इस न्यायालय के **श्रीमती ममता श्रीवास्तव बनाम तरेश कुमार श्रीवास्तव, 2010 (2) सीजी एलजे 24**; और **देव दास डर्सेना बनाम श्रीमती गिरिजा बाई डर्सेना, 2010 (2) सीजी एलजे 142** के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों पर अवलन लिया है।

08. इस अपील में निर्णय हेतु मुख्य प्रश्न निम्नलिखित हैं—

(i) क्या अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच दिनांक 29 अप्रैल, 2004 को संपन्न विवाह अपीलार्थी की इच्छा और सहमति के बिना दबाव में किया गया था?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) क्या प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपने पति/अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति क्रूरता कारित की है और विवाह के बाद से ही अपीलार्थी का साथ अभित्यजन कर दिया है?

09. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदन में किए गए प्रक्कथन की पुष्टि हेतु, अपीलार्थी/वादी ने स्वयं के अतिरिक्त अमृतलाल, लखनलाल और बहर्ता का क्रमशः अ.सा.-2, अ.सा.-3 और अ.सा.-4 के रूप में परीक्षण कराया है। दूसरी ओर, अपने लिखित कथन में किए गए प्रक्कथनों की पुष्टि हेतु,

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने स्वयं के अतिरिक्त अपने पिता छोटेलाल, मद्राज, किश्नो कश्यप और अपने चाचा रामहाई का क्रमशः ब.सा.-2, ब.सा.-3, ब.सा.-4 और ब.सा.-5 के रूप में परीक्षण कराया है।

10. जहाँ तक दबाव में विवाह संपन्न होने के प्रश्न का संबंध है, अपीलार्थी/वादी पवन कुमार कश्यप (अ.सा.-1) ने कहा है कि चूँकि उसकी बहन का विवाह 28 अप्रैल, 2004 को संपन्न होना था, वह अपने ग्राम-सेमरिया आया था और उस समय प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्यों ने उस पर झूठे आरोप लगाए थे कि उसके प्रत्यर्थी के साथ अवैध संबंध हैं और यदि वह प्रत्यर्थी से विवाह नहीं करता है, तो वे उसकी बहन का विवाह नहीं होने देंगे, जिसके कारण अपनी बहन के विवाह में किसी भी बाधा से बचने के एकमात्र उद्देश्य से उसने दबाव में प्रत्यर्थी के साथ विवाह किया था। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी की बहन का विवाह 28 अप्रैल, 2004 को संपन्न हुआ था, जबकि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी का विवाह अगले दिन अर्थात् 29 अप्रैल, 2004 को संपन्न हुआ था। इस प्रकार, 28 अप्रैल, 2004 को अपीलार्थी की बहन के विवाह के संपन्न होने के बाद और अपीलार्थी के विवाह के संपन्न होने से पहले, यदि उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसकी सहमति के बिना दबाव में किया जा रहा था, तो उसके पास अधिकारियों की सहायता लेने के लिए पर्याप्त समय था ताकि प्रत्यर्थी के साथ उसका विवाह न हो सके। दिनांक 29 अप्रैल, 2004 को विवाह संपन्न होने के बाद भी, इस संबंध में पुलिस या किसी अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्राधिकारी को कोई शिकायत नहीं की गई, और न ही अपीलार्थी ने विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित कराने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की।

11. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी (ब.सा.-1) रुक्मणी और उसके पिता छोटेलाल (ब.सा.-2) ने कहा है कि चूँकि अपीलार्थी/वादी ने प्रत्यर्थी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, इसलिए अपीलार्थी ने समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के आशय से प्रत्यर्थी से विवाह किया था, जिसके लिए अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्य सहमत हो गए थे और उसके पश्चात दिनांक 29 अप्रैल, 2004 को विवाह संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त, साक्षी मद्राज (ब.सा.-3), किश्नो (ब.सा.-4) और रामहाई (ब.सा.-5) ने विशेष रूप से कहा है कि प्रत्यर्थी के साथ अपीलार्थी का विवाह उनकी सहमति और उनके परिवार के सदस्यों की सहमति से संपन्न हुआ था। प्रत्यर्थी की ओर से परीक्षित साक्षियों के कथनों को अपीलार्थी द्वारा उनकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है। यद्यपि प्रत्यर्थी की प्रतिपरीक्षा में कुछ प्रश्न पूछने के बाद अपीलार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा समाप्त कर दी थी, किंतु साक्षी (प्रत्यर्थी) की वास्तव में न्यायालय द्वारा आगे प्रतिपरीक्षा की गई, जो किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। यद्यपि साक्षी लखनलाल (अ.सा.-3) और बहर्ता (अ.सा.-4) ने कहा है कि दिनांक 29 अप्रैल, 2004 को संपन्न विवाह के संबंध में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के परिवारों के बीच विवाद था, किंतु इन साक्षियों ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि विवाह अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों पर अनुचित दबाव डालकर संपन्न कराया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालाँकि किश्नो (ब.सा.-4) और रामहाई (ब.सा.-5), जो प्रत्यर्थी के चाचा हैं, ने अपने कथनों के कंडिका-3 में कहा है कि फलदान (नारियल फोड़ने) के समय अपीलार्थी उपस्थित नहीं था, किंतु अपीलार्थी के साक्षियों के कथनों, प्रत्यर्थी के साक्षियों के अखंडित कथनों और अपीलार्थी के पश्चातवर्ती आचरण को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि 29 अप्रैल, 2004 को संपन्न विवाह अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों पर अनुचित दबाव डालकर किया गया था।

12. जहाँ तक विवाह की तिथि पर प्रत्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम होने के प्रभाव का विवाह पर पड़ने वाले प्रश्न का संबंध है, यदि यह मान भी लिया जाए कि विवाह की तिथि अर्थात् 29 अप्रैल, 2004 को प्रत्यर्थी 18 वर्ष से कम आयु की थी, तो भी हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत उक्त विवाह को धारा 5, 11 और 12 के प्रावधानों के आलोक में शून्य नहीं कहा जा सकता और यह प्रत्यर्थी/पत्नी के विकल्प पर शून्यकरणीय है। प्रत्यर्थी/पत्नी ने वयस्कता अर्थात् 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित कराने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है, बल्कि इसके विपरीत अपने आचरण से दिनांक 29 अप्रैल, 2004 को संपन्न विवाह की पुष्टि या अनुसमर्थन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अपीलार्थी/वादी पवन कुमार कश्यप (अ.सा.-1) और उसके साक्षियों के कथनों के अनुसार, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह को 26 फरवरी, 2009 को ग्राम-कुनियारी में आहूत उनके समुदाय की एक बैठक में विघटित कर दिया गया था।

तथापि, अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी रुक्मणी (ब.सा.-1) और उसके साक्षियों ने विशेष रूप से कहा है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के वैवाहिक संबंधों के संबंध में उनके समुदाय की बैठक पहले ग्राम-जमड़ी में और बाद में 26 फरवरी, 2009 को ग्राम-कुनियारी में आयोजित की गई थी, किंतु उनके विवाह विघटित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था और इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के पिता को प्रत्यर्थी को उसकी ससुराल छोड़ने के लिए कहा गया था।

14. यह निर्विवाद है कि पक्षकारों के बीच विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों एवं संस्कारों के अनुसार संपन्न हुआ था और वे हिन्दू विधि द्वारा शासित होते हैं। अतः विवाह और विवाह विच्छेद के संबंध में वे हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं और पक्षकारों के बीच विवाह केवल एक सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 में उल्लिखित आधारों में से किसी एक को स्थापित करके विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करके ही विघटित किया जा सकता है। अतः, यदि यह मान भी लिया जाए कि 26 फरवरी, 2009 को ग्राम-कुनियारी में आयोजित समुदाय की बैठक में पक्षकारों के बीच विवाह विघटन कर दिया गया था, तो भी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और इस तथ्य के आलोक में कि पक्षकारों पर उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, समुदाय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा पक्षकारों के बीच विवाह विघटित करने के निर्णय का कोई प्रभाव नहीं है और विधि की दृष्टि में इसका कोई बल नहीं है।

15. अपीलार्थी/वादी पवन कुमार (अ.सा.-1) ने कहा है कि उसकी बहन का विवाह 28 अप्रैल, 2004 को संपन्न होना था और इस आशय से कि प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा उक्त विवाह में कोई बाधा उत्पन्न न की जाए, उसने 29 अप्रैल, 2004 को दबाव में प्रत्यर्थी के साथ विवाह किया था, जबकि वह और उसके परिवार के सदस्य प्रत्यर्थी के साथ अपने विवाह के लिए तैयार नहीं थे। उसने आगे कहा है कि प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने उस पर झूठे आरोप लगाए थे कि उसके प्रत्यर्थी के साथ अवैध संबंध थे, जबकि वास्तव में उसके प्रत्यर्थी के साथ कभी कोई अवैध संबंध नहीं थे। यद्यपि अपने कथन के कंडिका-2 में, अपीलार्थी/वादी (अ.सा.-1) ने कहा है कि विवाह के बाद वह कभी प्रत्यर्थी के साथ नहीं रहा और पंजाब में अपने पदस्थापना स्थल पर चला गया था, किंतु आगे इसी साक्षी ने उसी कंडिका (कंडिका-2) के अंत में कहा है कि प्रत्यर्थी विवाह के बाद लगभग तीन वर्षों तक उसके घर आती-जाती रही थी। इसके अतिरिक्त, उसने वाद-पत्र के कंडिका-11 में विशेष रूप से अभिवाक किया है कि 29 अप्रैल, 2004 को विवाह संपन्न होने के बाद प्रत्यर्थी लगभग 16 महीनों तक उसके घर पर रही। अपने कथन के कंडिका-3 में उसने यह भी कहा है कि विवाह के बाद प्रत्यर्थी उसके साथ 4 वर्षों तक रही थी और उसने उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किए थे। अपीलार्थी (अ.सा.-1)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ने आगे कहा है कि प्रत्यर्थी उसके विरुद्ध उसकी सैन्य इकाई को लिखित शिकायतें भेजा करती थी, जिसने बदले में पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा के माध्यम से उक्त शिकायतों की जांच कराई थी और 26 फरवरी, 2009 को ग्राम-कुनियारी में आयोजित उनके समुदाय की बैठक में, पक्षकारों के बीच विवाह को उनकी रूढ़िगत पद्धति के अनुसार विघटित कर दिया गया था।

16. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी रुक्मणी बाई (ब.सा.-1) ने कहा है कि जनवरी, 2009 तक वह अपनी ससुराल में रह रही थी और केवल अपीलार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों के उपेक्षापूर्ण रवैये और उनके द्वारा दी गई प्रताड़ना एवं उत्पीड़न के कारण ही वह फरवरी, 2009 से अपने मायके में रह रही है। उसने आगे कहा है कि यद्यपि उनके वैवाहिक संबंधों के संबंध में 26 फरवरी, 2009 को ग्राम-कुनियारी में उनके समुदाय की एक बैठक बुलाई गई थी, किंतु उक्त बैठक में उनके विवाह विघटन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. क्रूरता के संबंध में, अपीलार्थी पवन कुमार (अ.सा.-1) ने कहा है कि प्रत्यर्थी/पत्नी उसके विरुद्ध उसकी सैन्य इकाई को झूठी शिकायतें भेजा करती थी, जिसने बदले में पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा द्वारा शिकायतों की जांच कराई थी। इसके अतिरिक्त, जब अपीलार्थी जम्मू में पदस्थ था, तब प्रत्यर्थी/पत्नी ने विषपान कर लिया था। अपीलार्थी के साक्षी अमृतलाल (अ.सा.-2) और लखनलाल (अ.सा.-3) ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है और केवल यह कहा है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के

विवाह के संबंध में उनके परिवारों के बीच विवाद था, जिसके संबंध में उनके समुदाय की बैठकें पहले वर्ष 2008 में ग्राम-जमड़ी में और बाद में फरवरी, 2009 में ग्राम-कुनियारी में आयोजित की गई थीं। बहर्ता (अ.सा.-4) ने केवल इतना कहा है कि विवाह के 4-5 साल बाद, अपीलार्थी ने अपने समुदाय की बैठक में एक आवेदन दिया था कि वह बाहर पदस्थ है और उसकी अनुपस्थिति में प्रत्यर्थी/पत्नी को विषपान करने की आदत है।

18. बहर्ता (अ.सा.-4) के कथन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा विषपान किए जाने के संबंध में उसे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और उसे इस बारे में केवल उनके समुदाय की बैठक में अपीलार्थी द्वारा बताए जाने पर पता चला था। इस बिंदु पर अपीलार्थी/वादी के कोरे कथन के अतिरिक्त, इसकी पुष्टि के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई अन्य ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अपीलार्थी/वादी (अ.सा.-1) ने स्वयं कहा है कि 26.2.2009 को ग्राम-कुनियारी में आयोजित उनके समुदाय की बैठक में प्रत्यर्थी के साथ उसका विवाह, जो 29 अप्रैल, 2004 को संपन्न हुआ था, रूढ़िगत पद्धति से विघटित कर दिया गया था। अमृतलाल (अ.सा.-2), लखनलाल (अ.सा.-3) और बहर्ता (अ.सा.-4) के कथनों से यह पाया गया है कि 29 अप्रैल, 2004 को संपन्न अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के विवाह के संबंध में दोनों परिवारों के बीच विवाद था और इस संबंध में उनके समुदाय की बैठक पहले वर्ष 2008 में ग्राम-जमड़ी में बुलाई गई थी और प्रत्यर्थी के पिता को

प्रत्यर्थी को उसकी ससुराल छोड़ने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया।

20. लखनलाल (अ.सा.-3) ने अपने कथन के कंडिका-1 में विशेष रूप से कहा है कि ग्राम-जमड़ी में आयोजित उनके समुदाय की बैठक में अपीलार्थी ने आवेदन देकर कहा था कि वह प्रत्यर्थी/पत्नी के साथ निर्वाह नहीं कर सकता, जिस पर अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों को सलाह दी गई और उनके मतभेदों को दूर करने के लिए मनाया गया और जब अपीलार्थी ने समुदाय के समक्ष दूसरा आवेदन दिया, तब समुदाय द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया और अर्थदंड से दंडित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी श्रीमती रुक्मणी (ब.सा.-1) ने स्वीकार किया है कि उसने अपीलार्थी की सैन्य इकाई को शिकायतें भेजी थीं लेकिन वे सत्य तथ्यों पर आधारित थीं। उसने आगे कहा है कि जनवरी, 2009 तक वह ग्राम-सेमरिया में अपीलार्थी के घर पर उसके साथ रही थी और समय-समय पर जब अपीलार्थी सेमरिया स्थित अपने घर आता था, तब उनके बीच शारीरिक संबंध होते थे और अपीलार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित और उत्पीड़ित किए जाने पर ही वह फरवरी, 2009 से अपने मायके में रह रही है। अतः, यह निर्विवाद है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध उसकी सैन्य इकाई को शिकायतें भेजी गई थीं और पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा के माध्यम से उनकी जांच कराई गई थी। प्रत्यर्थी/पत्नी ने विशेष रूप से कहा है कि उक्त शिकायतें सत्य तथ्यों पर आधारित

हैं और वे अपीलार्थी को परेशान करने, प्रताड़ित करने या अपमानित करने के आशय से नहीं की गई थीं। अपीलार्थी ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा उसकी सैन्य इकाई को उसके विरुद्ध भेजी गई शिकायतें असत्य एवं निराधार थीं और केवल उसे क्षति पहुँचाने के आशय से भेजी गई थीं। अतः, प्रस्तुत साक्ष्यों से अपीलार्थी यह स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है कि प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति क्रूरता की है और प्रत्यर्थी ने बिना किसी उचित एवं तर्कसंगत कारण के उसका साथ अभित्यजन कर दिया है और अपने मायके में रह रही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलन लिए गए निर्णयों का संबंध है, उनका अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि उद्धृत मामलों के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से पर्याप्त रूप से भिन्न हैं और इस प्रकार, उद्धृत मामलों में प्रतिपादित विधि वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है और वे अपीलार्थी के लिए सहायक नहीं हैं।

23. उपरोक्त विवेचना के आधार पर, हमें कुटुम्ब न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं मिली है, जिसने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया है और वह पुष्टि किए जाने योग्य है।

24. परिणामस्वरूप, अपील विफल होती है और तदनुसार खारिज की जाती है। कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर-चांपा द्वारा सिविल वाद संख्या 73-ए/10 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2011 को एतद्द्वारा पुष्ट किया जाता है।

25. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

26. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) को तदनुसार डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

सही/–

डॉ. आई.एम. कुद्दुसी

न्यायमूर्ति

सही/–

जी. मिन्हाजुद्दीन

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ……Tara Chandra Chouhan (Advocate)……..